राजस्थान सरकार संसदीय कार्य विभाग

सं. एफ. 7(1)संसद / 2016

जयपुर, दिनांक : 13 10/2017

अधिसूचना

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियम, 1964 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता (संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2017 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।
- 2. अनुसूची का संशोधन.— राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा तथा दैनिक भत्ता नियम, 1964 से संलग्न अनुसूची में, शीर्ष ख. सड़क द्वारा यात्रा के लिए मील भत्ता के अधीन,—
 - (i) मद (i) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''7.00 प्रति कि.मी.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''10.00 रु. प्रति कि.मी.'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;
 - (ii) मद (ii) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''1.00 प्रति कि.मी.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1.00 रु. प्रति कि.मी.'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;
 - (iii) मद (iii)के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''1.80 प्रति कि.मी.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1.80 रु. प्रति कि.मी.'' प्रतिस्थापित की जायेगी ; और
 - (iv) मद (iv) के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''0.25 प्रति कि.मी.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''0.25 रु. प्रति कि.मी.'' प्रतिस्थापित की जायेगी ;

राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार व्यास) प्रमुख शासन सचिव।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

No. F 7 (1) Sansad/2016

Jaipur, Dated: 13 10 20 17

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1964, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of April, 2017.
- 2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1964, under the head B. Mileage Allowance for Travel by Road,-
 - (i) against item (i), for the existing expression "7.00 per k.m.", the expression "Rs. 10.00 per k.m." shall be substituted;
 - (ii) against item (ii), for the existing expression "1.00 per k.m.", the expression "Rs. 1.00 per k.m." shall be substituted;
 - (iii) against item (iii), for the existing expression "1.80 per k.m.", the expression "Rs. 1.80 per k.m." shall be substituted; and
 - (iv) against item (iv), for the existing expression "0.25 per k.m.", the expression "Rs. 0.25 per k.m." shall be substituted.

By Order of the Governor,

(Manoj Kumar Vyas)
Principal Secretary to the Government.